रिसर्च लैब से निकलकर खेतों तक पहुंचें वैज्ञानिक

- विज्ञान और वैज्ञानिक जाएंगे किसानों के बीच
- आईवीआरआई बना ग्रामीण विकास का नींव

बरेली, 30 जून. केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि देश के प्रत्येक जिले में वैज्ञानिकों की टीमें भेजी जाएंगी जो किसानों को आधुनिक कृषि, उन्नत नस्लों, तकनीकी खेती और बागवानी के विषय में जानकारी देंगे.

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक अब सिर्फ लैब में सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि खेत और खलिहान तक जाकर किसानों से जुड़ेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि रिसर्च पेपर केवल प्रकाशन के लिए नहीं, बल्कि किसानों और पशुपालकों के जीवन में बदलाव लाने के लिए होने चाहिए.

दीक्षांत समारोह में उपस्थित 576 छात्रों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उपाधियां और 24 को पदक दिए गए. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह केवल डिग्री नहीं, यह देश, समाज, किसान और पशुपालक कल्याण की जिम्मेदारी है. उन्होंने स्वामी विवेकानंद के उद्धरणों के माध्यम से छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि आप अकेले नहीं हैं, आप राष्ट्र के भविष्य हैं. आप जो सोचेंगे, वही बनेंगे. देश को ऐसे वैज्ञानिकों की जरूरत है जो ज्ञान को सेवा में बदलें.

उन्होने कहा कि आईवीआरआई केवल एक संस्था नहीं, बल्कि यह भारत की ग्रामीण जीवनशैली, पशुपालन संस्कृति और वैज्ञानिक सोच का आधार है. संस्थान ने टीका अनुसंधान, उन्नत नस्ल विकास, दुग्ध उत्पादन और पशुपालन में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनसे न केवल भारत, बल्कि विश्व को भी नई दिशा मिली है.

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन पशुपालन के बिना कृषि की कल्पना अधूरी है. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आज की रिसर्च प्रयोगशालाओं से निकलकर किसानों और पशुपालकों तक पहुचे.

उन्होंने बताया कि देश में 300 से अधिक अभिनव कृषि प्रयोग किसानों ने खुद किए हैं, जिनमें वैज्ञानिकों के सहयोग से और अधिक परिष्कृत करने की आवश्यकता है. देश के प्रत्येक जिले में वैज्ञानिकों की 2,000 टीमें भेजी जाएंगी. वह स्थानीय किसानों को आधुनिक कृषि, उन्नत नस्लों, तकनीकी खेती और बागवानी के विषय में जानकारी देंगी.

सोचने-समझने की शक्ति सभी जीवों के कल्याण के लिए

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सभी प्रजातियों के संरक्षण को जैव विविधता और पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि ईश्वर ने मनुष्य को जो सोचने और समझने की शक्ति दी है उसका इस्तेमाल सभी जीवों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए. मुर्मु ने सोमवार को बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में कहा कि मनुष्य का वनों और वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व का रिश्ता है. कई प्रजातियों के या तो विलुप्त होने या विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने का उल्लेख करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि इन प्रजातियों का संरक्षण जैव विविधता और पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, ईश्वर ने मनुष्य को जो सोचने और समझने की शक्ति दी है, उसका उपयोग सभी जीवों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए. कोरोना महामारी ने मानव जाति को आगाह किया है कि उपभोग पर आधारित संस्कृति न केवल मानव जाति को बल्कि अन्य जीवों और पर्यावरण को भी अकल्पनीय नुकसान पहुंचा सकती है. राष्ट्रपति ने कहा कि 'ईशावास्यम् इदं सर्वम्' के जीवन मूल्य पर आधारित भारतीय संस्कृति सभी जीवों में ईश्वर की उपस्थिति देखती है. देवताओं और ऋषियों द्वारा जानवरों से संवाद करने की मान्यता भी इसी सोच पर आधारित है.

मूक प्राणियों की सेवा में समर्पित विज्ञान

बरेली, 30 जून. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के शोधकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान की 136 वर्षों की साधना पूरे देश के लिए प्रेरणास्त्रोत है.

संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुये उन्होने कहा आप जैसे वैज्ञानिक उस मूक प्राणी की आवाज बनते हैं जिसे दुनिया सुन नहीं पाती. आप सभी का शोध और सेवा समाज को एक नई दिशा देता है.

कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं. दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने मेधावियों को 24 पदक और 576 स्नातक डिग्री की उपाधियां वितरित कीं.

बरेली को भारत की पौराणिक और आध्यात्मिक नगरी बताते हुए उन्होने कहा कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में पांचाल देश के रूप में विख्यात था और यहां देवाधिदेव महादेव के सात प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला 'नाथ कॉरिडोर' के रूप में विकसित की जा रही है. बाबा अलखनाथ, वनखंडी नाथ, त्रिवटी नाथ, तपेश्वर नाथ, मढ़ी नाथ, धोपेश्वर नाथ और श्री पशुपाति नाथ मंदिर बरेली की पहचान हैं. उन्होंने कहा कि जहां मंदिरों की श्रृंखला इस नगर को आध्यात्मिक पहचान देती है, वहीं आईवीआरआई ने इसे आधुनिक वैज्ञानिक पहचान प्रदान की है.

योगी ने संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि आईवीआरआई न केवल पशुधन बल्कि हर जीव-जंतु के लिए जीवन रक्षक सेवा का केंद्र बना है.

उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान जब आरटीपीसीआर जांच एक चुनौती बनी हुई थी, तब आईवीआरआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर दो लाख से अधिक कोविड जांच करवाईं. संस्थान की प्रतिबद्धता यह दिखाती है कि इसकी भूमिका केवल पशु चिकित्सा तक सीमित नहीं, बल्कि वह मानव जीवन रक्षा में भी अग्रणी रही है. उन्होने लंपी स्किन डिजीज पर भी विस्तार से चर्चा की और बताया कि कैसे इस बीमारी की दूसरी लहर के दौरान जब गोवंश बुरी तरह प्रभावित हुआ, तब आईवीआरआई द्वारा विकसित टीके ने उत्तर प्रदेश को संक्रमण से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई.

नमाज़वादी इंडी गठबंधन की साजिश : सुधांशु

भाजपा ने वक्फ कानून पर शरिया एजेंडा बताया

तेजस्वी ने संसद कानून ठुकराया

नयी दिल्ली, 30 जून .भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नये वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने संबंधी बयान की कड़ी प्रतिक्रिया जतायी है और पूछा है कि क्या 'नमाज़वादी' इंडी गठबंधन बिहार में शरीया कानून लागू करना चाहता है.

भाजपा प्रवक्ता एवं सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यहां पार्टी मुख्यालय पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पटना के गांधी मैदान में रविवार को राष्ट्रीय जनता दल की रैली में तेजस्वी यादव के भाषण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, अभी हाल ही में हमने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए. लेकिन बड़े दुख की बात है,

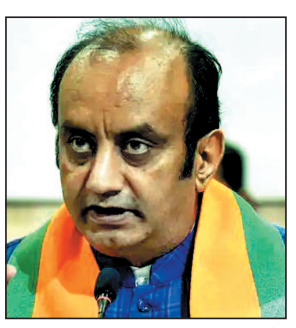

पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बिना लाखों लोग एकत्र हुए थे. वहां कल एक ऐसी रैली हुई, जिसमें इंडी गठबंधन के सहयोगी बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि संसद के कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे. जबकि यह कानून दोनों सदनों से पारित है और न्यायालय में विचाराधीन है.भाजपा प्रवक्ता ने कहा, इसका अर्थ ये हुआ कि न संसद का सम्मान है, न न्यायपालिका का सम्मान है.

वोट बैंक की चाहत में इंडी गठबंधन के सहयोगी तेजस्वी यादव द्वारा जो कुछ बोला गया है, उससे साफ है कि ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं .उन्होंने कहा, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुरान में 'वक्फ' जैसा कोई शब्द नहीं है. यह मुल्लाओं और मौलवियों द्वारा बनाया गया शब्द है. इस्लाम आपको खर्च करना, देना सिखाता है, न कि रखना या जमा करना. और फिर भी, आप कहते हैं, संग्रह करो?

हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट, स्कूल बंद

लगातार बारिश होने से व्यवस्था पूरी तरह से ठप

शिमला, 30 जून. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश के चार जिलों सोलन, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में अतिवृष्टि की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है. इसके मद्देनजर जिला प्रशासनों ने स्कूल बंद करने के निर्देश दिये हैं. मंडी जिला प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, रेड अलर्ट प्रभावित जिलों में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे.गौरतलब है कि इन चार जिलों में कल रात से लगातार बारिश हो रही है और जलापूर्ति, सड़क, संचार और परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गयी है.

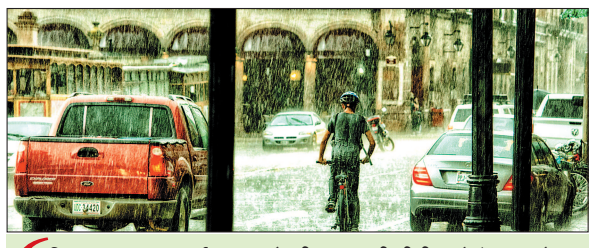

शिमला-कालका मार्ग पर वाहनों की आवाजाही धीमी रहने के बाद सोलन जिले के धर्मपुर के निकट चक्की मोड़ पर बहाल कर दी गई. पार्वती- द्वितीय और तृतीय बांध, कुल्लू जिले में लारजी परियोजना और सैंज परियोजना में जल स्तर भारी बारिश और गाद से प्रभावित हैं. रविवार को 1400 से 1500 मेगावाट की परियोजना में बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ.

नासिक में पानी से भरे गड्ढे में मिले तीन बच्चों के शव

नासिक. महाराष्ट्र के नासिक शहर के आडगांव इलाके के विडी कामगार नगर से लापता हुए तीन बच्चों के शव पानी से भरे बड़े गड्ढे में मिले हैं. तीनों बच्चे रविवार से लापता हैं.बच्चों की पहचान साईं गोरक्ष गरद (14), साईं केदारनाथ उगले (13) और साहिल हिलाल जाधव (14) के रूप में हुई है.पुलिस ने बताया कि कल तीनों बच्चे लापता हो गए थे और इसके बाद उनके परिजन उनकी तलाश कर रहे थे.

ट्रंप-नेतन्याहू पर ईरान का फतवा

- अयातुल्लाह ने मुस्लिमों से एकजुटता की अपील की
- मुस्लिमों को कार्रवाई का आह्वान

तेहरान, 30 जून.ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु अयातुल्लाह नसीर मकरम शिराजी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है. उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से इन दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है.

यह फतवा ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद आया है, जिसके बाद 24 जून को ट्रंप ने संघर्ष विराम का ऐलान किया था.मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अयातुल्लाह शिराजी ने अपने फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू को स्पष्ट रूप से दुश्मन बताया है. उन्होंने लिखा है कि इस्लामिक व्यवस्था के किसी व्यक्ति और खासतौर से सुप्रीम लीडर को जान से मारने की धमकी देना मना है और धार्मिक

रूप से निषेध है. उन्होंने आगे कहा कि उनका बचाव करना और ऐसी धमकियां देने वालों को जवाब देना ज़रूरी है.

उन्होंने पवित्रता का उल्लंघन करने को सबसे बड़े पापों में से एक बताया. फतवे में इस्लामिक गणतंत्र के नेतृत्व को धमकी देने वाले अमेरिकी और इजरायली नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया है.

इसमें यह भी कहा गया है कि उस दुश्मन के लिए मुसलमानों या इस्लामिक मुल्कों की तरफ से किसी भी तरह का सहयोग देना हराम है. यह ज़रूरी है कि दुनिया भर के मुसलमान इन दुश्मनों को उनके शब्दों और गलतियों के लिए पछतावा कराएं.

तेलंगाना भाजपा के नए अध्यक्ष रामचंद्र राव होंगे

हैदराबाद, 30 जून. तेलंगाना भाजपा के अगले अध्यक्ष को लेकर संशय खत्म हो गया है, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने इस शीर्ष पद के लिए वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य रामचंद्र राव के नाम को स्वीकृति प्रदान कर दी है. केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद श्री राव सोमवार को अपराह्न दो बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे.भाजपा नेतृत्व पिछले कुछ हफ्तों से प्रदेश पार्टी अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति उम्मीदवार की तलाश करने के वास्ते विस्तृत विचार-विमर्श कर रहा था.इनमें सांसद एटाला राजेंद्र, धर्मपुरी अरविंद, डॉ. के. लक्ष्मण और रामचंद्र राव जैसे प्रमुख नेताओं के नाम आगे थे. आंतरिक प्रतिस्पर्धा से बचने और सुचारु चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पार्टी हाईकमान ने रामचंद्र राव की उम्मीदवारी पर आम सहमति बनायी.

तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन आज अपराह्न 1400 बजे से शाम 500 बजे के बीच नामपल्ली स्थित पार्टी के

प्रदेश कार्यालय में स्वीकार किये जाएंगे. नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया शाम 1600 बजे से 1700 बजे तक चलेगी. नये प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और औपचारिक घोषणा एक जुलाई को होगी.

आज का इतिहास

- 1822 : दैनिक समाचार पत्र मुंबई समचार प्रकाशित हुआ.
- 1831 : डमिरल जेम्स सी रॉस चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर पहुंच गया
- 1847 : अमेरिका ने अपनी पहली डाक टिकटों (चित्रित) का प्रकाशन किया.
- 1879 : भारत में पोस्टकार्ड की शुरुआत हुई.
- 1948 : यू.एस. वायु सेना के विशेष जांच दल की स्थापना की गयी.
- 1949 : भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की स्थापना की गयी.
- 1951 : कनाडा और जर्मनी के बीच एक औपचारिक शांति समझौता हुआ.
- 1960 : घाना प्रथम गणतंत्र के रूप में क्वामे नक्रमा के साथ एक गणतंत्र बन गया.

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम **हेमंत कुमार बड़जात्या** परिवर्तन कर **हेमंत बड़जात्या** रख लिया है। अत: अब भविष्य में मुझे मेरे नए नाम **हेमंत बड़जात्या** से जाना जावे।

हेमंत बड़जात्या
29, गिरधर नगर (महेश नगर), इंदौर

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd

कॉर्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़,अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400069
खण्डवा शाखा: प्लॉट नंबर 1, श्री नगर कॉलोनी, इंदौर रोड, खण्डवा - 450001 (मध्य प्रदेश)

मांग सूचना

सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 का नियम 3(1) के साथ धारा13(2) के अंतर्गत सूचना

सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटेस्ट एक्ट 2002 (उपरोक्त कानून) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता **आधार हाउसिंग फायनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी है। उपरोक्त कानून की धारा 13(12) के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंटेस्ट (इंफोर्समेंट) एक्ट, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने धारा13(2) के अंतर्गत नीचे वर्णित निम्न ऋणकर्ता (ओं) (उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं)) को संबंधित मांग सूचना (ओं) में वर्णित राशि का पूर्णभुगतान करने के लिए बुलाये जाने के लिए जारी की गई थी। उपरोक्त संबंध में एक बार पुन: उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) को पुन: सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवस के अंदर नीचे वर्णित राशि के साथ नीचे वर्णित दिनांक से भुगतान की दिनांक एवं/या पुर्न प्राप्ति तक लागू मय ब्याज के उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) से किए गए ऋण अनुबंध के साथ अन्य दस्तावेजो/लिखित में यदि कोई हो, के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करें। जैसा कि ऋण के पुर्नभुगतान की जमानत के लिए निम्न संपत्ति को उपरोक्त संबंधित ऋणकर्ता (ओं) द्वारा AHFL को गिरवी रखा गया है।

क्रं.	उधारकर्ताओं एवं सह-उधारकर्ता / जमानतदार के नाम	मांग पत्र की दिनांक एवं मांग राशि	प्रतिभूतित आस्तियों का विवरण (अचल संपत्ति/यां)
1	(लोन कोड नं. 05500000260 / खण्डवा शाखा) बंटी रील (ऋणी) शिवकुमार रील एवं शीला रील (सह-ऋणी) अभिनेश काशिव (जमानतदार)	19-06-2025 एवं ₹ 12,22,598/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लॉट नं. 174 एवं प्लॉट नं. 04 शीट नं. 07 ब्लॉक नं. 02 सुभाष नगर कॉलोनी तहसील जिला खंडवा, पूर्वी निमाड़, मध्य प्रदेश, 450001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- गली 10 फीट चौडी, पश्चिम - कॉलोनी रोड, उत्तर - बालकिशन वर्मा का मकान, दक्षिण - गली एवं प्लाट नं. 5

यदि उपरोक्त ऋणकर्ता उपरोक्त राशि का AHFL को भुगतान करने में असफल रहते है तो AHFL उपरोक्त संपत्ति के विरुद्ध कानून की धारा 13 (4) एवं लागू नियम के अंतर्गत ऋणकर्ता के पूर्ण जोखिम मूल्य एवं परिणाम पर कार्यवाही करेगी। उपरोक्त ऋणकर्ताओं को कानून के अंतर्गत संपत्ति का विक्रय, किराया या अन्य प्रकार से बिना AHFL के लिखित अनुमति के बिना हस्तांतरित करने पर प्रतिबंधित किया जाता है कोई व्यक्ति जो कि उपरोक्त कानून या नियम में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन या उल्लंघन करने को बढावा देता है उसे उपरोक्त कानून के अंतर्गत प्रदत जुर्माना या /एवं कारावास के लिए दंड दिये जाने के योग्य होगा।

स्थान : मध्य प्रदेश | **सही/- प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 01-07-2025 | **वास्ते - आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

किसानों के लिए खुशखबरी!
100% जल में घुलनशील मिश्रित उर्वरकों का विपणन

कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक SO 2900(E) दिनांक 24-10-2015 और उसके संशोधन क्रमांक S.O. 4120(E) दिनांक 30-12-2017 के अनुसार, हम मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित 100% जल में घुलनशील NPK मिश्रित. "न्यूट्रिसॉल ब्रांड नाम से"

1	NPK 30:10:10	11	NPK 16:16:16	21	boronated Calcium Nitrate
2	NPK 03:37:37	12	NPK 18:18:18	22	NPK 12:61:0
3	NPK 13:40:13 12	13	NPK 19:19:19	23	NPK 0:52:34
4	NPK 10:54:10	14	NPK 20:20:20	24	NPK 0:42:47+Fe
5	NPK 05:15:33	15	NPK 7:11:37+3Mgo	25	NPK 10:40:10+QPS
6	NPK 15:05:30+3Mgo	16	NPK 14:35:14	26	NPK 0:48:47
7	NPK 08:16:24+10CaO	17	NPK 0:0:50		
8	NPK 21:07:14+3MgO	18	NPK 10:26:26		
9	NPK 08:24:16+10CaO	19	NPK 28:28:0		
10	NPK 12:08:24+10CaO	20	NPK 0:0:52		

BIOFACTOR Designed By Nature Delivered By Us

बायोफैक्ट इनपुट्स प्राइवेट लिमिटेड
कॉर्पोरेट पता - फ्लैट नंबर 404, आर्का सत्य रेसिडेंसी, कौशल्या कॉलोनी, बचुपल्ली, हैदराबाद - 500 090 (तेलंगाना)
क्षेत्रीय पता -110, पांचाल कंपाउंड, देवास नाका, इंदौर - 452010 (म.प्र.) मोबाइल: 98856 50005.

शिवालिक लघु वित्त बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 501, सालकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली - 110025
CIN: U65900DL2020PLC366027

कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8(1)

चूँकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत शिवालिक लघु वित्त बैंक अर्थात शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण खाता संख्या 103041542230 के लिए दिनांक 20-03-2025 को मांग सूचना जारी की है, जिसमें 1.श्री. ईश्वर सिंह आंजना पुत्र श्री निर्भय सिंह (उधारकर्ता/बंधककर्ता) निवासी आंजना सिलारी, तुलाहेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश 456550, 2. श्रीमती अंजू पत्नी ईश्वर सिंह आंजना (सह-उधारकर्ता) निवासी आंजना सिलारी, तुलाहेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश 456550 उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर। ऋणी द्वारा 3,30,000/- रुपए (तीन लाख तीस हजार रुपए मात्र) की राशि चुकाने में असफल रहने के कारण ऋणी(ओं) तथा आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ वर्ष 2025 के जून माह के 26वें दिन नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणी(ओं) को विशेष रूप से तथा आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है तथा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन शिवालिक लघु वित्त बैंक लिमिटेड द्वारा **3,30,000/- रुपए (तीन लाख तीस हजार रुपए मात्र)** की राशि तथा उस पर ब्याज के भार के अधीन होगा। ऋणी का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति पर समतामूलक बंधक:
आवासीय संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट है, अर्थात 83.64 वर्ग मीटर, प्लॉट संख्या 04, वार्ड संख्या 11 पी हल्का संख्या 46, ग्राम सिलारी, तहसील घटिया और जिला उज्जैन मध्य प्रदेश में मकान, उप पंजीयक कार्यालय उज्जैन के राजस्व अभिलेख में पंजीकृत ई-पंजीकरण क्रमांक MP432022024A1513502 **दिनांक 29-04-2024 कुल पृष्ठ 22. श्री ईश्वर सिंह आंजना पुत्र श्री निर्भय सिंह के नाम पर। सीमा: उत्तर पुरालाल का घर, दक्षिण सड़क, पश्चिम सड़क, पूर्व गंगाराम का घर**

सीमा:

उत्तर	पुरालाल का घर	दक्षिण	रोड
पश्चिम	रोड	पूर्व	गंगाराम का घर

दिनांक: 26-06-2025 | **Sd/- प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: उज्जैन | **शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड
Repco Home Finance
इंदौर शाखा: नं.9/1/2, खंडेलवाल मोटर बिल्डिंग, 101, प्रथम तल, इंदौर - 452001

ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड को बंधक रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री

जबकि उधारकर्ता: श्री हेमंत हंसवाल, पुत्र घनश्याम हंसवाल, सह-उधारकर्ता: 1.श्री सुनील हंसवाल, पुत्र घनश्याम हंसवाल, 2.श्रीमती गौरी हंसवाल, पत्नी हेमंत हंसवाल, 3.श्रीमती योगिता हंसवाल, पत्नी सुनील हंसवाल, गारंटर: श्री मोहन विश्वकर्मा, पुत्र हरिश्चंद्र विश्वकर्मा ने अचल संपत्ति के बंधक के खिलाफ रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड, इंदौर शाखा से पैसा उधार लिया है, जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, कंपनी ने 20.10.2022 को एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत एक मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें नोटिस में उल्लिखित राशि ऋण खाता संख्या 1991870000125 के माध्यम से 15,25,055/- की राशि 15.10.2022 तक ब्याज, लागत और व्यय के साथ उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा है।
जबकि उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता उक्त मांग नोटिस में मांगी गई कंपनी को देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, कंपनी ने अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत 21.06.2023 को अनुसूची में अधिक विस्तार से वर्णित सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। चूंकि उधारकताओं द्वारा बकाया राशि का पूर्ण भुगतान करने में विफल रहने के कारण, सुरक्षित ऋणदाता, रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड ने कंपनी को बकाया ऋण की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के तहत "जैसी है, जहां है" और "जैसी है, जैसी है" के तहत नीचे उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति को बेचने का निर्णय लिया है। ऋण खाता संख्या 1991870000125 के अनुसार उधारकर्ता की बकाया राशि 04.06.2025 तक 22,24,391/- थी।

ई-नीलामी की तिथि/समय: 12.08.2025, सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच (5 मिनट के असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ)

ई-टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 11.08.2025, शाम 04.00 बजे

संपत्ति का विवरण: फ्लैट नंबर पर स्थित संपत्ति का पूरा हिस्सा। सुदामा नगर इंदौर (म.प्र.) में स्थित प्लॉट नंबर 1880 पर निर्मित समृद्धि पैराडाइज के जी-2 ग्राउंड फ्लोर का निर्मित क्षेत्रफल 681 वर्ग फीट है। और सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर: फ्लैट नंबर जी-1, पूर्व: गली, पश्चिम: दुकान से आगे का रास्ता, दक्षिण: प्लॉट नंबर 1881।

आरक्षित मूल्य ₹ 27,24,000/- | (आरक्षित मूल्य का 10%) ईएमडी ₹ 2,72,400/- | न्यूनतम बोली वृद्धि ₹ 25,000/-

ई-नीलामी प्रक्रिया के लिए, कृपया मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड, श्री जे. दामोदरन- 9841002253 से संपर्क करें। संपत्ति के निरीक्षण के लिए इच्छुक बोलीदाता शाखा प्रमुख, रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड, इंदौर शाखा से सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नं. (0731) 2520522 और 88788 88540.

दिनांक: 26.06.2025 | अधिकृत अधिकारी, रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड

न्यायालय अपर कलेक्टर (रोशन राय) खुडैल क्षेत्र, जिला इन्दौर

क्रमांक/75/अ.क.री.खुडैल/2025 | राजस्व अपील क्रं.: 0029/बी-121/2025-26
दिनांक : 27.06.2025

विज्ञप्ति प्रकाशन

प्रति,
1. श्री विक्रय सिंह पिता श्री भगवान सिंह,
2. श्री पीयूष पिता श्री विक्रम सिंह
3. श्रीमती इंदिरा बाई पति श्री विक्रम सिंह
(समस्त निवासी: मकान नं. 35 प.ह.क 35 ग्राम खंडेल तहसील खुडैल जिला इन्दौर)

प्रार्थी स्वतंत्र माईक्रो हाउसिंग फाइनेंस कार्पोरेशन लि. तर्फे प्राधिकृत अधिकारी रजिस्टर्ड पता आफिस नं. 1,2,3,4 पुष्पक अपार्टमेंट्स मालवीय रोड विले पार्ले ईस्ट मुबई शाखा कार्यालय 2 फलोर इन्द्रप्रस्थ टॉवर पलासिया इन्दौर द्वारा आपके द्वारा लिये ऋण नहीं जमा करने के कारण धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अंतर्गत रखी गई सम्पत्ति का कब्जा दिलाने का निवेदन किया गया है।

13(2) अनुसार वसूली हेतु योग्य राशि	बंधक सम्पत्ति
5,20,000/-+ ब्याज एवं अन्य खर्चे	मकान नं. 35 पटवाली हल्का नं. 35 ग्राम खंडेल तहसील खुडैल जिला इन्दौर

अत: इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई अपर जिला दण्डाधिकारी अनुभाग खुडैल जिला इन्दौर के **(नवीन प्रशासनिक संकुल कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 109) के न्यायालय में दिनांक 11.07.2025 (शुक्रवार) को दोपहर 2.30 बजे** होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थित की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(रोशन राय) अपर कलेक्टर
अनुभाग खुडैल जिला इन्दौर

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
TATA
पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल मुबई - 400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552. Contact No. (022) 61827414, (022) 61827375
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सुरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के उपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर -452001.

**आध